न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज0

पीठासीन अधिकारी	:	सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	432/2017
सी.आई.एस. नंबर	:	432/2017
सी.एन.आर. नंबर	:	**RJBR110009012017**
निर्णय दिनांक	:	17.03.2026

अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT

PART-I
(A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्त	धीरज पुत्र भैरूलाल, आयु 49 वर्ष, निवासी मौजा बड़गॉंव, पुलिस थाना सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान .... अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री महेश दुबे, अभियुक्त की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	27.05.2017
एफ.आई.आर. की दिनांक	27.05.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	18.09.2017
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्त धीरज दिनांक 18.09.2017
सुनवायी की दिनांक	18.01.2018
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	17.03.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	17.03.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

कम संख्या	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	धीरज	28.05. 2017	03.06. 2017	अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT	दोषसिद्ध	निर्णय की मद संख्या 30. में वर्णित	07 दिवस

PART-II
साक्षियों की सूची :– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/ न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी –

कम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	हनुमानसहाय	ताईद फर्द चैकिंग एवं जप्ती, ताईद फर्द सहमति गवाहान, ताईद फर्द सहमति तलाशी बाबत् अभियुक्त, ताईद फर्द नमूना शील, ताईद फर्द वजह गिरफ्तारी, ताईद फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, ताईद फर्द पुनः शील, ताईद फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना, ताईद फर्द नक्शा मौका एवं चश्मदीद वाका
2.	रघुनंदन मालव	ताईद फर्द सुपुर्दगी माल, माल जमा मालखाना करना, एवं मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करना
3.	हेमंत गौतम	ताईद हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान एवं चार्जशीट कता करना
4.	दिनेश कुमार	ताईद सूचना धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट
5.	देशराज	ताईद माल एफ.एस.एल. जमा करना
6.	सागरमल	ताईद हुकुमनामा तलवी गवाहान, ताईद चैकिंग एवं जप्ती, एवं चश्मदीद वाका
7.	डालूराम	ताईद फर्द चैकिंग एवं जप्ती, ताईद फर्द सहमति गवाहान, ताईद फर्द सहमति तलाशी बाबत् अभियुक्त, ताईद फर्द नमूना शील, ताईद फर्द वजह गिरफ्तारी, ताईद फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, ताईद फर्द पुनः शील, ताईद फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना, ताईद फर्द नक्शा मौका एवं चश्मदीद वाका

8.	स्वागत पांडया	ताईद फर्द चैकिंग एवं जप्ती, ताईद फर्द सहमति गवाहान, ताईद फर्द सहमति तलाशी बाबत् अभियुक्त, ताईद फर्द नमूना शील, ताईद फर्द वजह गिरफ्तारी, ताईद फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, ताईद फर्द पुनः शील, ताईद फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना, ताईद फर्द नक्शा मौका एवं चश्मदीद वाका एवं मुकदमा कायम करना

(B) बचाव साक्षी —

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी —

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श —

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	फर्द चैकिंग एवं जप्ती अवैध मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति बाबत् पत्र प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	फर्द सहमति बाबत् तलाशी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 3
04.	प्रदर्श पी. 4	फर्द वजह गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 4
05.	प्रदर्श पी. 5	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 5
06.	प्रदर्श पी. 6	फर्द नमूना सील प्रदर्श पी0 6
07.	प्रदर्श पी. 7	फर्द नष्टीकरण सील कार्यवाही प्रदर्श पी. 7
08.	प्रदर्श पी. 8	फर्द पुनः सील मादक पदार्थ गांजा शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 8
09.	प्रदर्श पी. 9	फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 9

10.	प्रदर्श पी. 10	फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 10
11.	प्रदर्श पी. 11ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी. 11ए
12.	प्रदर्श पी. 12	चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 12
13.	प्रदर्श पी. 13 लगायत प्रदर्श पी. 16	धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 13 लगायत प्रदर्श पी. 16
14.	प्रदर्श पी. 17 लगायत प्रदर्श पी. 19	धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की संपूर्ण कार्यवाही के दस्तावेजात प्रदर्श पी. 17 लगायत प्रदर्श पी. 19
15.	प्रदर्श पी. 20 लगायत प्रदर्श पी. 21	रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 46 एवं 50, प्रदर्श पी. 20 एवं प्रदर्श पी. 21
16.	प्रदर्श पी. 22	थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से उपरोक्त प्रकरण में धारा 57 NDPS ACT की सूचना भेजने बाबत् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 22
17.	प्रदर्श पी. 23	एफ0एस0एल0 जयपुर द्वारा प्रेषित प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 23
18.	प्रदर्श पी. 24	जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा एफ.एस.एल. जयपुर भेजा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 24
19.	प्रदर्श पी. 25	थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को, उपरोक्त प्रकरण में, जप्तशुदा आर्टिकल्स को रासायनिक परीक्षण हेतु जमा करवाये जाने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी. 25
20.	प्रदर्श पी. 26	एफ.एस.एल. नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 26
21.	प्रदर्श पी. 27	स्वतंत्र गवाहान की तलवी बाबत् हुकुमनामा पत्र प्रदर्श पी. 27
22.	प्रदर्श पी. 28	थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से, अभियुक्त धीरज के मित्र रघुवीर को, अभियुक्त की गिरफ्तारी से अवगत कराये जाने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी. 28
23.	प्रदर्श पी. 29	रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 31 प्रदर्श पी. 29

(B) बचाव प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	—	—

(C) न्यायालय प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	– निल –	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

क्रम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	– निल –		

:: निर्णय ::

दिनांकः—17.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'दिनांक 27.05.2017 को फरियादी स्वागत पांडया, उप निरीक्षक, आई.सी. थाना मय जाप्ता डालूराम, एच. सी. 345, हनुमानसहाय, एच.सी. 584 एवं सागरमल एफ.सी. 1099 मय अनुसंधान सामग्री मय प्राईवेट मोटरसाईकिलों के थाने से दिनांक 27.05.2017 को समय 12:16 पी.एम. पर वास्ते गस्त एवं चैकिंग अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु कस्बा अंता, बरड़िया, रातड़िया, बालाखेड़ा हेतु रवाना होकर गस्त एवं चैकिंग, मैन बाजार कस्बा अंता बरड़िया, रातड़िया करता हुआ बालाखेड़ा जा रहा था कि रातड़िया के आगे नदी की पुलिया पर घूम के पास एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक कपड़े का कैरी बैग लटकाकर पुलिया पर बैठा नजर आया जो बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर, उठकर एकदम से बालाखेड़ा की तरफ भागने लगा, जिसके इस प्रकार के आचरण पर सन्देह होने पर मन् एस.आई. ने मय हमराही जाप्ता की मदद से घेरा देकर समय 01:10 पी.एम. पर डिटेन किया जो व्यक्ति काफी घबराया हुआ है, जिसको तसल्ली देकर नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम धीरज पुत्र भैरूलाल, निवासी मौजा बड़गांव, पुलिस थाना सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारा (राज0) का होना बताया, जिससे पुलिस जाप्ता को देखकर भागने एवं उसके दाहिने हाथ के कैरी बेग में क्या वस्तु है ? इस बाबत् पूछताछ की तो उसने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया, उक्त डिटेनशुदा धीरज का इस तरह का आचरण संदिग्ध होने से उक्त व्यक्ति की तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से, तलाशी हेतु स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु समय 01:15 पी.एम. पर सागरमल एफ.सी. 1099 को लिखित में हुकुमनामा देकर रवाना किया जो 10 मिनिट पश्चात् गवाहान की तलाश कर वापिस आया एवं लिखित में निवेदन किया कि उसने आस पास जाकर, स्वतंत्र गवाहान को तलाश किया तो आसपास कोई आबादी नहीं है एवं आने जाने वाले राहगीर व्यक्तियों से स्वतंत्र गवाह बनने को कहा तो कानूनी पेचीदगी के कारण कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ और ना ही किसी ने नाम पता बताये, मन् एस.आई. ने आस पास स्वतंत्र गावाहन की तलाश की तो कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला, तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान नहीं मिलने से समय 01:30 पी.एम. पर डालूराम एच.सी. 345 एवं हनुमानसहाय एच.सी. 584 को लिखित में नोटिस दिया जाकर, तलाशी की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने सहमति चाही गयी। समय 01:35 पी.एम. पर डालूराम एच.सी. 345 ने तलाशी में स्वतंत्र गवाह बनने की लिखित में सहमति

प्रदान की एवं समय 01:40 पी.एम. पर हनुमानसहाय एच.सी. 584 ने तलाशी के दौरान स्वतन्त्र गवाह बनने की लिखित में सहमति की तत्पश्चात मन् एस.आई. ने अपनी तलाशी दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान ने मन् एस.आई. की तलाशी ली तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गयी। डिटेनशुदा व्यक्ति धीरज से मन् एस.आई. मय जाप्ता की तलाशी लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली तत्पश्चात् समय 01:45 पी.एम. पर डिटेनशुदा धीरज को तलाशी बाबत् अवगत कराया एवं लिखित में सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् डिटेनशुदा उक्त धीरज के दाहिने हाथ के कपड़े के केरी बैग की नियमानुसार तलाशी ली तो कपड़े के कैरी बैग के अंदर एक पारदर्शी पॉलिथीन की थैली में हरे मटमैले रंग की पत्तियां डंठल कलियां रखी हुई नजर आई। पॉलिथीन की थैली का मुँह खोलकर, उसमें रखे पदार्थ को चैक किया तो अनुभव के आधार पर, गांजे की कलियां होना पाया। गवाहान को दिखाया एवं सुंघाया तो पूर्व अनुभव के आधार पर, गांजे की कलियां होना बताया तथा डिटेनशुदा व्यक्ति से पूछने पर भी उसने गांजे की कलियां होना बताया, तब डिटेनशुदा व्यक्ति से गांजा अपने पास अपने पास रखने एवं परिवहन करने का लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। डिटेनशुदा व्यक्ति का उक्त कृत्य धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से, अभियुक्त धीरज के कब्जे में कपड़े के कैरी बैग में मिले गांजे को बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर, कब्जे पुलिस लिया गया एवं मन् एस.आई. ने गांजे का तौल किया तो शुद्ध गांजा का वजन 540 ग्राम हुआ। उक्त गांजा को बतौर वजह सबूत जप्त कर, उसमें से 50 ग्राम गांजा नमूना सैंपल हेतु एक पॉलिथीन की थैली में निकालकर, उसे कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क 'ए' नाम दिया तथा 50 ग्राम गांजा कंट्रोल सैंपल हेतु एक पॉलिथीन की थैली में निकालकर, कपड़े की थैली में रखकर मार्क 'बी' नाम दिया तथा शेष 440 ग्राम गांजा को उसी पॉलिथीन की थैली में रखकर, उसी कपड़े के कैरी बैग में रखकर, शील्ड मोहर कर, कपड़े की थैली में रखकर, मार्क 'सी' नाम दिया गया। अभियुक्त की पुनः तलाशी लिये जाने पर, और कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। नमूना सैंपल मार्क 'ए' एफ.एस.एल. रासायनिक परीक्षण हेतु भिजवाया जावेगा। पैकिट मार्क ए, बी, सी पर मन् एस.आई. की निजी सील लगाई जो नमूना अंकित किया गया। बाद कार्यवाही निजी सील को नियमानुसार नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा का दंडनीय अपराध होने से, उसको गिरफ्तार किया जाकर, हिरासत पुलिस लिया गया।' इत्यादि

2. वापसी थाना पर, फर्द चैकिंग एवं जप्ती के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. द्वारा मुकदमा नंबर 222/2017, अंतर्गत धारा 8/20 NDPS ACT में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा, अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 8/20 NDPS ACT का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 NDPS ACT में प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 8/20 NDPS ACT का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर, आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से, साक्ष्य अभियोजन में गवाहान पीडब्ल्यू—1 हनुमानसहाय, पीडब्ल्यू—2 रघुनंदन, पीडब्ल्यू—3 हेमंत गौतम, पीडब्ल्यू—4 दिनेश कुमार, पीडब्ल्यू—5 देशराज, पीडब्ल्यू—6 सागरमल, पीडब्ल्यू—7 डालूराम, पीडब्ल्यू—8 स्वागत पांडया को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, फर्द चैकिंग एवं जप्ती अवैध मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी. 1, स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति बाबत् पत्र प्रदर्श पी. 2, फर्द सहमति बाबत् तलाशी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 3, फर्द वजह गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 4, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 5, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी0 6, फर्द नष्टीकरण सील कार्यवाही प्रदर्श पी. 7, फर्द पुनः सील मादक पदार्थ गांजा शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 8, फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 9, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 10, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी. 11ए, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 12, धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 13 लगायत प्रदर्श पी. 16, धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की संपूर्ण कार्यवाही के दस्तावेजात प्रदर्श पी. 17 लगायत प्रदर्श पी. 19, रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 46 एवं 50, प्रदर्श पी. 20 एवं प्रदर्श पी. 21, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से उपरोक्त प्रकरण में धारा 57 NDPS ACT की सूचना भेजने बाबत् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 22, एफ0एस0एल0 जयपुर द्वारा प्रेषित प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 23, जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा एफ.एस.एल. जयपुर भेजा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 24, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को, उपरोक्त प्रकरण में, जप्तशुदा आर्टिकल्स को रासायनिक परीक्षण हेतु जमा करवाये जाने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी. 25, एफ.एस.एल. नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 26, स्वतंत्र गवाहान की तलवी बाबत् हुकुमनामा पत्र प्रदर्श पी. 27, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से, अभियुक्त धीरज के मित्र रघुवीर को, अभियुक्त की गिरफ्तारी से अवगत कराये जाने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी. 28, रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 31 प्रदर्श पी. 29 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए एवं स्वयं को झूठा फंसाया जाने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :—

1. क्या दिनांक 27.05.2017 को समय 02:05 पी.एम. पर मौजा रातड़िया के आगे नदी की पुलिया पर घूम के पास, अंता में, अभियुक्त धीरज को रोककर, नियमानुसार चैक किया तो उसके आधिपत्य के कपड़े के थैले में से मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसका शुद्ध वजन 540 ग्राम था, जिसको रखने एवं परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ? इस प्रकार अभियुक्त

धीरज द्वारा धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंण्डनीय अपराध कारित किया गया ?

2. यदि हॉ, तो अभियुक्त के विरूद्ध उचित दंड क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में, दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा हैं कि अभियोजन कहानी से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पूर्णतया साबित है। गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को आरोपित धारा में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2017 से लंबित है। अभियुक्त पिछले नौ वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। गवाहान के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। प्रकरण में समस्त गवाहान पुलिसकर्मी है, जो औपचारिक साक्षी है। हस्तगत प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार है :–

11. अभियोजन वृतांत के अनुसार, दिनांक 27.05.2017 को समय 02:05 पी.एम. पर मौजा रातड़िया के आगे नदी की पुलिया पर घूम के पास, अंता में, अभियुक्त धीरज को रोककर, नियमानुसार चैक किया तो उसके आधिपत्य के कपड़े के थैले में से मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसका शुद्ध वजन 540 ग्राम था, जिसको रखने एवं परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त धीरज द्वारा धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंण्डनीय अपराध कारित किया गया।

12. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 08 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन वृतांत का संपूर्ण आधार, दिनांक 27.05.2017 को परिवादी/जप्ती अधिकारी स्वागत पांडया द्वारा की गयी जप्ती कार्यवाही को बनाया गया है, जिसे कि अभियोजन द्वारा गवाह पी0ड0 08 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो कि दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना अंता में उप निरीक्षक एवं इंचार्ज थाना के पद पर कार्यरत था, जहां कि परिवादी/जप्ती अधिकारी द्वारा, जप्ती कार्यवाही की ताईद करते हुये न्यायालय समक्ष कथन किया गया है कि उस दिन वह, मय जाप्ता डालूराम, एच.सी. 345, हनुमानसहाय, एच.सी. 584, सागरमल एफ.सी. 1099 मय अनुसंधान सामग्री मय प्राईवेट वाहन से वास्ते गस्त इलाका अवैध चैकिंग कार्य, जुआ सट्टा आदि हेतु थाने से करीब समय 12:16 पी.एम. पर रवाना होकर, गस्त ईलाका कस्बा अंता, बरड़िया, रातड़िया, बालाखेड़ा की तरफ रवाना हुये। रातड़िया से बालाखेड़ा की तरफ जाने वाले रोड पर, नदी की पुलिया के घुमाव पर एक व्यक्ति पुलिया पर बैठा

नजर आया जिसके दाहिनें हाथ पर एक कपड़े का कैरी बैग था, जो पुलिस जाप्ता को देखकर अचानक भागने लगा, जिस पर संदेह होने से हमराही जाप्ता की मदद से समय 01:10 पी.एम. पर उक्त व्यक्ति को डिटेन किया और नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम धीरज बताया, जिसको इस प्रकार भागने का कारण पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया था। इस स्थिति में उक्त व्यक्ति की स्थिति संदेहास्पद होने से तलाशी लेना आवश्यक होने से हमराही जाप्ता में से सागरमल कानि. को समय 01:.15 पी.एम. पर हुकुमनामा देकर, स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु रवाना किया, जिसने 10 मिनिट बाद आकर बताया कि उसने आस पास स्वतत्रं गवाह की तलाश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ और ना ही किसी ने अपना नाम, पता बताया, जिस पर हमराही जाप्ता में से डालूराम, हैड कानि. एवं हनुमानसहाय, हैड कानि. को समय 01:30 पी.एम. पर सहमति के संबंध में नोटिस जारी कर दोनों स्वतंत्र गवाहान से सहमति लिखित में प्राप्त की, तत्पश्चात् नियमानुसार मन् उप निरिक्षक ने अपनी तलाशी मामूर स्वतंत्र गवाह को दी और स्वतंत्र गवाहान की तलाशी मन् उप निरिक्षक द्वारा दी गयी थी तो कोई भी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुयी थी। तत्पश्चात् डिटेनशुदा धीरज को तलाशी बाबत् नोटिस दिया जाकर, जवाब प्राप्त किया गया और मुताबिक सहमति धीरज के नियमानुसार उसकी एवं स्वतंत्र गवाहान की तलाशी धीरज को दी गयी, तत्पश्चात् धीरज की तलाशी ली गयी तो उसके दाहिनें हाथ में एक कपड़े की थैली को खोलकर चैक किया तो उसमें एक पारदर्शी पॉलिथीन की थैली में डंठल एवं कलीनुमा पदार्थ मिला, जिसको मन् एस.आई. एवं हमराही जाप्ते ने अनुभव के आधार पर, मादक पदार्थ गांजा होना पाया एवं डिटेनशुदा धीरज ने उक्त मादक पदार्थ को गांजा होना बताया, इस पर धीरज से अपने कब्जे में मादक पदार्थ गांजा रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। अभियुक्त धीरज का उक्त कृत्य धारा 8 / 20 एन.डी. पी.एस. एक्ट की श्रेणी में, अपराध होने से मादक पदार्थ गांजा को कब्जे पुलिस लिया जाकर, तौल किया तो उक्त मादक पदार्थ का वजन 540 ग्राम हुआ, जिसमें नियमानुसार 50–50 ग्राम के नमूना सैंपल एवं कंट्रोल सैंपल निकाला जाकर, पृथक से मन् एस.आई. की निजी सील से शील्ड मोहर कर मार्क 'ए' एवं मार्क 'बी' नाम दिया गया एवं शेष बचे 440 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को उसी पारदर्शी पॉलिथीन की थैली एवं कपडे के बैग में, उसी प्रकार से रखकर, शील्ड मोहर करके मार्क 'सी' नाम दिया गया। डिटेनशुदा व्यक्ति धीरज को अपने कब्जे में, उक्त मात्रा में मादक पदार्थ गांजा रखने पर, अंतर्गत धारा 8 / 20 एन.डी. पी.एस. एक्ट के तहत वजह गिरफ्तारी से अवगत कराया जाकर, जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द नमूना सील मुर्तिब की गयी, जिस सील से कार्यवाही की गयी, उसको नष्ट किया जाकर, फर्द नष्टीकरण सील मुर्तिब की गयी। संपूर्ण कार्यवाही मौके पर की जाकर, मन् उप निरिक्षक मय जाप्ता मय जप्तशुदा माल मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के थाने पर आया। प्रकरण में जप्तशुदा माल मार्क 'ए', 'बी' एवं 'सी' को थाने की सील से थानाधिकारी द्वारा री सील किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा माल को मालखाना इंचार्ज को बाद री सील, जमा मालखाना करवाया गया और अभियुक्त को बंद हवालात किया गया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसकी निशादेही से नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। गवाह द्वारा प्रकरण में तैयार, फर्द चैकिंग एवं जप्ती अवैध मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी. 1, स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति बाबत् पत्र प्रदर्श पी. 2, फर्द सहमति बाबत् तलाशी प्रदर्श पी. 3, फर्द वजह गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श

पी. 4, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 5, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी0 6, फर्द नष्टीकरण सील कार्यवाही प्रदर्श पी. 7, फर्द पुनः सील मादक पदार्थ गांजा शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 8, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 10, प्रकरण में दर्ज चाक एफ. आई.आर. प्रदर्श पी. 12, स्वतंत्र गवाहान की तलवी बाबत् हुकुमनामा पत्र प्रदर्श पी. 27, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता की ओर से, अभियुक्त धीरज के मित्र रघ ुवीर को अवगत कराये जाने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी. 28, रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 31 प्रदर्श पी. 29 की ताईद की गयी है।

13. हस्तगत प्रकरण में, जप्ती अधिकारी द्वारा दिये गये बयानों की ताईद, उसके साथ बरवक्त घटना उपस्थित गवाहान पी0ड0 01 हनुमानसहाय, हैड कानिस्टेबल, पी0ड0 06 सागरमल, कानिस्टेबल एवं पी0ड0 07 डालूराम, हैड कानिस्टेबल द्वारा की गयी है।

14. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहान पी0ड0 1 हनुमानसहाय एवं पी0ड0 07 डालूराम, जो कि दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना अंता में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, ने भी जप्ती अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को की गयी संपूर्ण कार्यवाही की ताईद करते हुये, अभियुक्त के आधिपत्य के कपड़े के कैरी बैग में से गांजे की कलियां एवं पत्तियों की बरामदगी के तथ्य की ताईद की है, जिसे सूंघकर परखा गया तो गांजा होना पाया गया। गवाहान के अनुसार, अभियुक्त के आधिपत्य से कुल मादक पदार्थ गांजा 540 ग्राम बरामद हुआ था। गवाहान द्वारा, जप्ती अधिकारी द्वारा तैयार की गयी निम्न फर्दों जैसे – फर्द चैकिंग एवं जप्ती अवैध मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी. 1, स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति बाबत् पत्र प्रदर्श पी. 2, फर्द सहमति बाबत् तलाशी प्रदर्श पी. 3, फर्द वजह गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 4, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धीरज प्रदर्श पी. 5, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी0 6, फर्द नष्टीकरण सील कार्यवाही प्रदर्श पी. 7, फर्द पुनः सील मादक पदार्थ गांजा शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 8, फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 9, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 10 की ताईद की गयी है।

15. इसी क्रम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह पी0ड0 06 सागरमल, जो कि दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना अंता में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था, ने भी जप्ती अधिकारी द्वारा की गयी संपूर्ण जप्ती कार्यवाही की पुष्टि करते हुये निम्न फर्दात जैसे – फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी. 1, अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 5, स्वतंत्र गवाह की तलवी बाबत् हुकुमनामा प्रदर्श पी. 27 की ताईद की है।

16. प्रकरण में जप्ती अधिकारी द्वारा, बाद जप्ती कार्यवाही, अभियुक्त से जप्तशुदा माल को पुलिस थाना अंता लाकर रघुनंदन मालव, जो कि दिनांक 27. 05.2017 को पुलिस थाना अंता में एच.एम. मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था, को सुपुर्द किया गया था। प्रकरण में, अभियोजन द्वारा, गवाह रघुनंदन मालव एच.एम. मालखाना इंचार्ज को गवाह पी0ड0 02 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि गवाह द्वारा न्यायालय समक्ष कथन किया गया है कि वह दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना अंता में एच.एम. मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी ने स्वागत पांडया, एस.

आई. के द्वारा मौके पर, अभियुक्त धीरज से जप्त किये गये गांजा के तीन पैकिट मार्क क्रमशः ए, बी, सी उसे अपनी शील्ड से शील्डशुदा लाकर संभलाये थे, जिन्हें उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 163/2017 पर इन्द्राज कर मालखाना में जमा किया था। दिनांक 29.05.2017 को उक्त जमा माल पैकिट में से मार्क 'ए' नमूना सैम्पल के पैकिट को देशराज कानि. 241 को मय अग्रेषण पत्र संभलाकर, रासायनिक परीक्षण हेतु देकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बारां और एफ.एस.एल. कार्यालय, जयपुर रवाना किया था, जो दिनांक 03.06.2017 को माल जमा कर, वापिस थाना आया था एवं माल जमा किया जाकर, रसीद क्रमांक 7057 दिनांक 30.05.2017 लाकर उसे पेश की थी, जिसका इन्द्राज उसने मालखाना रजिस्टर के उक्त क्रमांक पर किया था, रसीद अनुसंधान अधिकारी को संभलाई थी। दिनांक 09.06.2017 को न्यायालय ए.जे.एम. बारां द्वारा धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही की गयी थी, जिसमें न्यायालय की शील्ड मोहर से शील्डशुदा पैकिट मार्क सी1, उसे थानाधिकारी द्वारा पेश किया गया था, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर के उक्त क्रमांक पर इन्द्राज कर, पैकिट को जमा मालखाना किया था। मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 163/2017 प्रदर्श पी. 11 है तथा मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 163/2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 11ए है, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी है। गवाह द्वारा, फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना शील्डशुदा पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 9 है, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी है।

17. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, गवाह दिनेश कुमार को पी0ड0 04 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जो कि तत्समय पुलिस थाना अंता में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था, जहां कि गवाह द्वारा न्यायालय समक्ष कथन किया गया है कि उसके द्वारा धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना, थानाधिकारी से लेकर, जिला पुलिस अधीक्षक, कर्यालय बारां, पहुॅचकर, वहॉ पर उक्त प्रकरण के संबंध में धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना, पुलिस अधीक्षक, बारां को दी जाकर, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 22 प्राप्त कर, वापिस पुलिस थाना अंता आकर, उक्त प्राप्ति रसीद, अनुसंधान अधिकारी को दी गयी। उक्त प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 22 है, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी।

18. हस्तगत प्रकरण में, गवाह देशराज कानिस्टेबल को, प्रकरण के जप्तशुदा माल में से मार्क 'ए' को वास्ते एफ.एस.एल. रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर प्रेषित किया गया था। उक्त गवाह को, प्रकरण में अभियोजन द्वारा, पी0ड0 05 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जो कि दिनांक 29.05.2017 को पुलिस थाना अंता में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था, जहां कि गवाह द्वारा न्यायालय समक्ष कथन किया गया है कि उसे दिनांक 29.05.2017 को रघुनंदन, हैड कानिस्टेबल ने, उक्त प्रकरण में, प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 222/2017 में जप्तशुदा शील्ड मोहर एक पैकिट मार्क 'ए' मय अग्रेषण पत्र रासायनिक परिक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवाने हेतु दिया था। वह थाने से रवाना होकर, जिला पुलिस अधीक्षक, कार्यालय बारां पहुॅचा, जहां से अग्रेषण पत्र बनवाया था एवं रवाना होकर दिनांक 30.05.2017 को एफ.एस.एल. जयपुर पहुॅचा, जहां शील्डशुदा एक पैकिट मार्क 'ए' को जमा कर, रसीद संख्या 7057 दिनांक 30.05.2017 प्राप्त की, रवाना होकर वापिस थाना आया। रसीद हैड साहब को संभलायी थी। गवाह द्वारा, इस संबंध में, प्रकरण में तैयार एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 23, जिला पुलिस अधीक्षक, बारां का अग्रेषण

पत्र प्रदर्श पी. 24, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 25, एफ.एस.एल. नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श. 26 है, जिनकी ताईद गवाह द्वारा की गयी है।

19. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हेमंत गौतम, जो कि दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना अंता में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था, को अभियोजन द्वारा गवाह पी0ड0 03 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि गवाह ने प्रकरण में उसके द्वारा किये गये संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये, न्यायालय समक्ष निम्न फर्दात जैसे – फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी. 01, फर्द पुनः सील मादक पदार्थ गांजा शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 8, फर्द सुपुर्दगी माल जमा मालखाना शील्डशुदा आर्टिकल्स पैकिट मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी. 9, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 10, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 12, धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 13 लगायत प्रदर्श पी. 16, धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की संपूर्ण कार्यवाही के दस्तावेजात प्रदर्श पी. 17 लगायत प्रदर्श पी. 19, रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 46 एवं 50, प्रदर्श पी. 20 एवं प्रदर्श पी. 21, रोजनामचा रवानगी नकल रपट नंबर 31 प्रदर्श पी. 29 की ताईद की गयी। गवाह द्वारा बाद अनुसंधान, अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रमाणित पाया गया।

20. उपरोक्त गवाहान के बयानों के प्रकाश में, अभियोजन द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित है। वहीं, हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त पक्ष द्वारा अभियोजन वृतांत का खंडन करते हुये न्ययालय से निवेदन किया जा रहा है कि प्रकरण में उसे झूठा फॅसाया जा रहा है। प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण गवाहान पुलिसकर्मी है। अतः ऐसे में, अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में दोषी नहीं माना जा सकता है।

21. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि समस्त गवाहान के बयानों का अवलोकन करें तो प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित समस्त गवाहान पुलिसकर्मी ही है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा कोई भी स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियुक्त पक्ष द्वारा अपने बचाव में निरंतर यह कथन रहा है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त पक्ष को झूठा फंसाया गया है। संपूर्ण कार्यवाही पुलिस थाना अंता में ही की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अपने न्यायिक दृष्टांत **Baldev Singh Versus State of Haryana reported in 2016 CRI.L.J. 154** सुसंगत है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, पुलिसकर्मी द्वारा दी गयी साक्ष्य की विवेचना के संबंध में निम्न मागदर्शन दिया गया है –

"There is no legal proposition that evidence of police officials unless supported by independent evidence is unworthy of acceptance. Evidence of police witnesses can not be discarded merely on the ground that they belong to police force and interested in the investigation and their desire to see the success of the case. Prudence however requires that the evidence of police officials who are

interested in the outcome of the result of the case needs to be carefully scrutinized and independently appreciated. Mere fact that they are police officials does not by itself give rise to any doubt about their credit worthiness."

उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि किसी प्रकरण में किसी गवाह की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर खंडित नहीं किया जा सकता है कि गवाह पुलिसकर्मी है, परंतु जब किसी प्रकरण में, जब कोई गवाह पुलिसकर्मी हो, तब न्यायालय पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वे उनकी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करें एवं यह सुनिश्चित करें कि गवाह द्वारा न्यायालय समक्ष झूठे कथन नहीं किये जा रहे है।

22. हस्तगत प्रकरण, दिनांक 27.05.2017 को जप्ती अधिकारी स्वागत पांडया, उप निरीक्षक द्वारा की गयी जप्ती कार्यवाही पर आधारित है। उक्त संपूर्ण जप्ती कार्यवाही की ताईद, जप्ती अधिकारी गवाहान पी0ड0 08 स्वागत पांडया, पी0ड0 01 हनुमानसहाय, पी0ड0 06 सागरमल एवं पी0ड0 07 डालूराम द्वारा की गयी है। उक्त चारों ही गवाहान ने एक ही स्वर में, अभियुक्त धीरज के आधिपत्य के कपड़े के थैले में से, मादक पदार्थ गांजा, जिसका वजन 540 ग्राम था, बरामद किये जाने का कथन किया है। इस संबंध में, प्रकरण में तैयार फर्द चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी. 1 पर अभियुक्त धीरज के हस्ताक्षर है, जिसका विनिर्दिष्ट रूप से खंडन, अभियुक्त पक्ष द्वारा नहीं किया गया है।

23. प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश नकल रपट रोजनामचा नंबर 31 दिनांक 27.05.2017 प्रदर्श पी. 29 से भी जप्ती अधिकारी के बयानों को बल प्राप्त होता है, उक्त रोजनामचा रवानगी रपट नंबर 31 के अवलोकन से, दौराने गस्त ईलाका चैकिंग, गुंडा बदमाशान एवं अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु रवानगी एवं जप्ती अधिकारी गवाहान पी0ड0 08 स्वागत पांडया, पी0ड0 01 हनुमानसहाय, पी0ड0 06 सागरमल एवं पी0ड0 07 डालूराम की उपस्थिति भी प्रमाणित होती है।

24. प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 10 में वर्णित स्थान पर, अभियुक्त पक्ष द्वारा अपनी अनुपस्थिति बाबत् कोई साक्ष्य न्यायालय समक्ष पेश नहीं की गयी है। अतः इन परिस्थितियों में, हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त से उपरोक्त वर्णित बरामदगी प्रमाणित होती है। यह कि उक्त जप्ती की कार्यवाही के पश्चात्, जप्ती अधिकारी द्वारा जप्तशुदा माल को मालखाने में जमा कराया गया था, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी0 11ए को पेश किया गया है, जिसे कि गवाह पी0ड0 02 रघुनंदन मालव द्वारा ताईद किया गया है।

25. प्रकरण में जप्तशुदा माल को वास्ते एफ0एस0एल0 रासायनिक परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 जयपुर प्रेषित किया गया था। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश एफ0एस0एल0 प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 23, जिला पुलिस अधीक्षक, बारां का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी0 24, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी0 25 एवं एफ.एस.एल. नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 26 को

भी न्यायालय समक्ष पेश किया गया है, जिनकी ताईद गवाह पी0ड0 05 देशराज द्वारा की गयी है।

26. प्रकरण में, एफ0एस0एल0 जयपुर द्वारा, उक्त माल के संबंध में प्राप्त एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्रदर्श 26 का अवलोकन करने पर, उक्त रिपोर्ट में निम्न निष्कर्ष दिया गया है –

" On microscopic & microchemical analysis :- The sample packed in the packet marked A was found to be of Ganja as described U/S 2 (iii) b of the NDPS ACT, 1985. "

न्यायालय के विनम्र मत में, उक्त एफ0एस0एल0 रिपोर्ट से यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि **पैकिट मार्का 'ए' में मादक पदार्थ ''गांजा'' ही था।** इस प्रकार, हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, अभियुक्त धीरज से 540 ग्राम मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी तथा उक्त मादक पदार्थ की Chain of Custody को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है, जिसका खंडन करने में अभियुक्त पक्ष असफल रहा है। इस प्रकार अभियोजन, अपने वृतांत में वर्णित घटनास्थल पर, अभियुक्त की उपस्थिति एवं अभियुक्त के आधिपत्य से मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है तथा अभियुक्त पक्ष, इन सभी तथ्यों का खंडन करने में असफल रहा है।

27. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त धीरज के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त धीरज को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषी घोषित किया जाता है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)

<u>दण्ड के प्रश्न पर :–</u>

28. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का इस आशय का निवेदन रहा है कि उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त पिछले नौ वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य है। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निल होना पत्रावली में वर्णित है। इसलिए यदि उसे कारावासीय दण्ड से दण्डित किया जाता है तो इससे, उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अभियुक्त के विरूद्ध ना तो कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और ना ही इससे पूर्व किसी प्रकरण में अभियुक्त ने परीवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया है, अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया, जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने, इसका विरोध करते हुये, अभियुक्त को पर्याप्त दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

29. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराध का आरोप है। अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य है। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निल होना पत्रावली में वर्णित है। अतः ऐसी दशा में, प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को तथा प्रकरण की लंबित अन्वीक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुये, न्यायालय के विनम्र मत में, अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर, अभियुक्त को मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

30. अतः अभियुक्त धीरज पुत्र भैरूलाल, आयु 49 वर्ष, निवासी मौजा बड़गॉव, पुलिस थाना सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान को उसके विरूद्ध सिद्धदोष अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में, अभियुक्त को चार हजार रूपये, कुल राशि 4,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त, सात दिवस का साधारण कारावास पृथक् से भुगतेगा।

31. संपूर्ण जुर्माना राशि चार हजार रूपये न्यायालय के राजकोष में जमा कराई जावें।

32. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावें।

33. अभियुक्त के पूर्व में अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000–10,000/–रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

34. हस्तगत प्रकरण में, पुलिस थाना अंता द्वारा जप्तशुदा माल मसरूका/ मादक पदार्थ गांजा का, फर्द जप्ती अनुसार, बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)

35. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)